**<u>भारतीय विमानपत्तकन प्राधिकरण</u>**

**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**

**विषय: भारत के शौकिया एवं उदीयमान कालकारों को बढावा देने तथा प्रोत्सा हित करने हेतु भा वि प्रा की पहल ।**

नई दिल्लीः 17 मार्च 2015 : भारत के शौकिया एवं उदीयमान कलाकारों के आर्ट-कार्यो को बढावा देने तथा प्रोत्साणहित करने की दिशा में भारतीय विमानपत्तदन प्राधिकरण ने अपने हवाई अड्डों पर आर्ट-गैलरी आरंभ की हैं । संबंधित विमानपत्त न निदेशक , शौकिया/उदीयमान कलाकारों को उनकी कलाओं को प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित करेगा और इसके बाद एक पैनल गठित किया जाएगा जो 15 दिनों की अवधि हेतु उनको कलाओं कों प्रदर्शित करने की अनुमति देगा ।

कलाकारो के कलात्मगक कार्य केवल पेटिंग तक ही सीमित न होकर शिल्पलकला तथा कला के अन्यक रूपों में प्रदर्शित होंगे ।

सूचना/नोटिस/विज्ञापन की प्राप्ति के बाद , कलाकार इस प्रक्रिया की औपचारिकाताएं पूर्ण करने हेतु हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन पर हवाई अड्डा प्रबंधक प्रभारी से संपर्क करेगा । कलाकार द्वारा स्व्यं ही आर्टचित्रों को उचित रूप से फ्रेम करना होगा तथा फीटिंग एवं प्रदर्शित करने हेतु हवाई अड्डे को भेजना होगा ।

कलाकार के पास इसकी ''बिक्री हेतु टैग'' लगाने का अधिकार होगा तथा आर्ट कार्य में इसका मूल्यप टैग लगा होगा । आर्ट कार्य की ब्रिकी होने पर , पैंटिग/आर्ट के बिक्री मूल्य के 10% की दर से टोकन शुल्क् का भुगतान भा वि प्रा को करना होगा ।

विमानपत्त न निदेशक को ऐसे किसी भी आर्ट कार्य को प्रदर्शित न करने का अधिकार होगा जो आपत्तिजनक , भड़काने वाली अथवा भारतीय सामाजिक एवं संस्कृ ति पर्यावरण के अनुरूप नहीं होगी। स्टी कर, बैनर अथवा अन्यद बोर्ड आर्ट गैलरी में लगाने की अनुमति नहीं होगी ।

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-

जनसम्प र्क निदेशालय द्वारा जारी

विस्तृ त जानकारी के लिए संपर्क करें

म.प्र. (जनसंपर्क) 9810025096

011-24622787

सं. 68/2014-15